भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2820
बुधवार, 18 मार्च, 2020/28 फाल्गुन, 1941 (शक)

बेरोजगारी पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
का प्रतिवेदन

2820. डा॰ अमी याज्ञिकः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में बेरोजगारी की समस्या पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के हाल ही का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विगत पाँच वर्षों के दौरान बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे अधिक है और वर्ष 2020 में इसमें लगातार वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उद्योग और जनता, विशेष रूप से युवा पर बढ़ती बेरोजगारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन आरंभ करवाया है और सरकार द्वारा देश में औपचारिक रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2017-18 के दौरान वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आयोजित किया है। सरकार द्वारा हाल ही में सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है।

(ख से ग): देश में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति के मूल्यांकन हेतु, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आयोजित किया गया था तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। इन सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी की दर नीचे दी गई है:

सर्वेक्षण*	बेरोजगारी दर
2017-18 (एनएसओ द्वारा पीएलएफएस)	6.0%
2015-16 (श्रम ब्यूरो)	3.7%
2013-14 (श्रम ब्यूरो)	3.4%

(टिप्पणीः *पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और विभिन्न योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है। ये सेवाएं राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल (www.ncs.gov.in) पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

*****